चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक -7)

भारत गणराज्य के इक्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 5 अक्टूबर, 1979 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **'समुचित सरकार'** से केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के संबंध में या उस आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गये निरोध के संबंध में या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ख) **'निरोध आदेश'** से धारा 3 के अधीन किया गया आदेश अभिप्रेत है ;

(ग) संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में **'राज्य सरकार'** से उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

3. कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति

(1) यदि केन्द्रीय सरकार का या राज्य सरकार का या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी का, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का नहीं है और जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जो उस सरकार के सचिव से निम्न पंक्ति का नहीं है और जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है, किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का

प्रदाय बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से उसे निरुद्ध करना आवश्यक है, तो वह यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी या कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए।

स्पष्टीकरण :

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करना' पद से अभिप्रेत है -

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन या समुदाय के लिए किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या वितरण या व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, दंडनीय कोई अपराध करना या किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाना ; या

(ख) ऐसी किसी वस्तु में, -

(1) जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में यथा परिभाषित आवश्यक वस्तु है ;

(2) जिसके संबंध में किसी अन्य विधि में, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, उपबंध किए गए है।

इस दृष्टि से व्यवहार करना कि किसी ऐसी रीति से अभिलाभ प्राप्त किया जाए जिससे कि उस अधिनियम या उपर्युक्त अन्य विधि के उपलब्ध प्रत्यक्षत: या विफल हो जाएं या विफल हो सकते हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार समाधान हो जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा , अर्थात -

(क) जिला मजिस्ट्रेट

(ख) पुलिस आयुक्त, जहाँ भी ये नियुक्त किए गए है।

(3) जब इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा (2) में वर्णित अधिकारी द्वारा किया जाता है तब वह उस तथ्य की रिपोर्ट उस राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है, और साथ ही वे आधार जिन पर यह आदेश किया गया है, और अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो उसकी राय में, मामले से संबंधित है, भी भेजेगा और ऐसा कोई आदेश, उसके किए जाने की तारीख से बारह दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच राज्य सरकार उसे अनुमोदित नहीं कर देती है।

परन्तु जहाँ आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा निरोध के आधार, निरोध की तारीख से पाँच दिन के पश्चात किन्तु दस दिन के भीतर धारा 8 के अधीन संसूचित किए जाते हैं वहाँ

यह उपधारा इस उपान्तर के साथ लागू होगी कि 'बारह दिन' शब्दों के स्थान पर 'पन्द्रह दिन' शब्द रखे जाएंगे।

(4) जब इस धारा के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है या यदि इस धारा के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है ; जो उस सरकार के सचिव से निम्न पंक्ति का नहीं है और जो उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, तो राज्य सरकार उस तथ्य की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सात दिन के भीतर भेजेगी, और साथ ही वे आधार, जिन पर वह आदेश दिया गया है तथा अन्य ऐसी विशिष्टियां जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से संबंधित है, भी भेजेगी।

4. निरोध आदेशों का निष्पादन

निरोध आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जा सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में गिरफ्तारी के वांरटों के निष्पादन के लिए उपबंधित है।

5. निरोध के स्थान तथा शर्तों के विनियमन की शक्ति

प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है -

(क) ऐसे स्थान पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जिसके अंतर्गत भरण- पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन-भंग के लिए दंड के बारे में शर्तें भी हैं, निरुद्ध किया जा सकेगा जो समुचित सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; और

(ख) निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान को, चाहे वह उसी राज्य में हो या दूसरे राज्य में, समुचित सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा।

परन्तु राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को एक राज्य से किसी अन्य राज्य को हटाने का, खंड (ख) के अधीन आदेश, उस अन्य राज्य की सरकार की सहमति के बिना नहीं करेगी।

6. निरोध आदेशों का कुछ आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना

कोई निरोध आदेश केवल इस कारण अधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं हो कि -

(क) उसके अधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान उक्त सीमाओं के बाहर है।

7. फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां

[1]1. यदि, यथास्थिति, समुचित सरकार या धारा 3 की उपधारा (2) में वर्णित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति के संबंध में निरोध आदेश किया गया है वह फरार हो गया है या अपने को इस प्रकार छिपा रहा है कि उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सकता है तो वह सरकार [2](या अधिकारी) -

(क) उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट उस महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा जो उस स्थान पर अधिकारिता रखता है जहाँ उक्त व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है और तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 82, 83, 84 और 85 के उपबंध उक्त व्यक्ति और उसकी संपत्ति से संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों उसे निरुद्ध करने का आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दिया गया गिरफ्तारी का वारंट हो ;

(ख) राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति को निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश से विनिर्दिष्ट की जाए, हाजिर हो और यदि उक्त व्यक्ति, ऐसे आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो, जब तक यह साबित नहीं कर देता कि उसका अनुपालन उसके लिए संभव नहीं था और उसने आदेश में वर्णित अधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उस कारण की, जिससे उसका अनुपालन असंभव था, तथा अपने पते ठिकाने की सूचना दे दी थी, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

8. आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना

(1) जब कोई व्यक्ति किसी निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर पाँच दिन के भीतर तथा असाधारण परिस्थितियों में, और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे दस दिन के भीतर, उसको वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है और समुचित सरकार से उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उसे शीघ्रतम अवसर देगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हे प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझता है

---

1. 1982 के अधिनियम सं. 27 की धारा 2 द्वारा संशोधित
2. 1982 के अधिनियम सं. 27 की धारा 2 द्वारा संशोधित

9. सलाहकार बोर्डों का गठन

(1) जब भी आवश्यकता हो, केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड गठित करेगी।

(2) ऐसा प्रत्येक बोर्ड ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, या रह चुके है, या उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह है, तथा ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(3) समुचित सरकार, सलाहकार बोर्ड के सदस्यों मे से ऐसे सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र की दशा में, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, सलाहकार बोर्ड में, नियुक्ति संपृक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

10. सलाहकार बोर्डों को निर्देश

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन निरोध आदेश किया गया है, उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर समुचित सरकार, धारा 9 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार जिन पर यह आदेश किया गया है, और जब ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्ति ने कोई अभ्यावेदन किया है तो वह अभ्यावेदन तथा जब आदेश धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तब उस अधिकारी द्वारा धारा 3 के अधीन दी गई रिपोर्ट भी रखेगी।

11. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया

(1) सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात तथा समुचित सरकार से या समुचित सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाए गए किसी व्यक्ति से या संबंद्ध व्यक्ति से, ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, अथवा यदि संबंद्ध व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए तो वैयक्तिक रूप से उसे सुनने के पश्चात समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट संबंद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर देगा।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक अलग भाग में उसकी यह राय विनिर्दिष्ट की जाएगी कि संबंद्ध के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।

(3) जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जाएगा।

(4) इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया इस बात का हकदार नहीं बनाएगी कि वह सलाहकार बोर्ड को किए गए निर्देश से संबंधित किसी मामले में विधि व्यवसायी द्वारा हाजिर हो, तथा सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग के सिवाय, जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी।

12. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही

(1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, समुचित सरकार निरोध आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा संबंद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।

(2) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि संबंद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है, समुचित सरकार, निरोध आदेश वापस ले लेगी तथा उस व्यक्ति को तुरंत छुड़वा देगी।

13. निरोध की अधिकतम अवधि

धारा 12 के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकेगा वह निरोध की तारीख से छह मास की होगी :

परंतु इस धारा की कोई बात, निरोध आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने या उपांतरित करने की समुचित सरकार की शक्ति पर, प्रभाव नहीं डालेगी।

14. निरोध आदेश वापस लेना

(1) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी निरोध आदेश को किसी भी समय -

(क) इस बात के होते हुए भी कि आदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, उस राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा:

(ख) इस बात के होते हुए भी कि आदेश केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा, वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा।

●●●

*छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय रखना आदेश, 1980**

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय रखना अधिनियम, 1980 (क्रमांक 7 सन् 1980) की धारा 5 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करता है , अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ

(1) यह आदेश छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय रखना आदेश, 1980 कहलाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी निर्देश या किए गए किसी आदेश के किसी उपबंध के अध्यधीन रहते हुए यह आदेश ऐसे प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को लागू होगा जो छ.ग. के किसी भी स्थान पर चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया गया हो :

परन्तु राज्य शासन यह निदेश दे सकेगा कि इस आदेश के उपबंध किसी भी निरुद्ध व्यक्ति या निरुद्ध व्यक्तियों के किसी भी वर्ग के संबंध में, ऐसे परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जो कि निदेश में उल्लिखित किया जाए।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

(1) **'निरुद्ध व्यक्ति'** से तात्पर्य चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना अधिनियम, 1980 (क्रमांक 7 सन् 1980) के उपबंधों के अधीन निरुद्ध व्यक्ति से है।

(2) **'जिला मजिस्ट्रेट'** से तात्पर्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है जिसके आदेश के अधीन व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए।

(3) **'शासन'** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य के शासन से है।

(4) **'महानिरीक्षक'** से तात्पर्य जेल महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ से है।

(5) **'स्थान'** से तात्पर्य ऐसे किसी भी स्थान से है जहाँ निरुद्ध व्यक्ति को रखा जाता हो और उसमें कोई भी जेल या पुलिस हवालात सम्मिलित है।

(6) **'अधीक्षक'** से तात्पर्य उस जेल के अधीक्षक से है, जिसमें कोई भी निरुद्ध व्यक्ति रखा

★ छ.ग. शासन की अधिसूचना दिनांक 2.2.2002 द्वारा जारी विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 के अनुसरण में 'म.प्र.' शब्दों के स्थान पर छ.ग. किया गया है।

★★ म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 22.2.86 के पृष्ठ 319-326 में प्रकाशित। (क्रमांक 806-पच्चीस-2-80)

गया हो और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है, जो तत्समय ऐसे अधीक्षक के रुप में कार्य कर रहा हो।

3. सामान्य नियमों की प्रयुक्ति

किसी स्थान में रखे गए अन्य बंदियों पर लागू तत्समय प्रवृत्त नियम उस सीमा जिस तक कि वे इस आदेश द्वारा रुपभेदित किए गए हों, निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगे।

4. वर्गीकरण और वर्गीकरण का निदेश देने वाला अधिकारी

(1) निरुद्ध व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य तथा उनकी शिक्षा स्थिति और निरोध के पहले के उनके जीवन-यापन के ढंग के अनुसार दो श्रेणियों-प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में विभाजित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति का वर्गीकरण उसके निरोध का निदेश देनेवाला प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा :

परन्तु जहाँ निरोध का निर्देश देने वाले प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति के वर्गीकरण के संबंध में कोई आदेश विशिष्ट रूप से न दिया जाए, वहाँ उसे द्वितीय श्रेणी में रखा गया माना जाएगा।

(3) इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेण के निरुद्ध व्यक्तियों से साधारणत: उसी रीति से व्यवहार किया जाएगा, जो तत्समय प्रवृत्त जेल मेन्युअल में क्रमश: श्रेणी 'ख' या उच्च श्रेणी तथा श्रेणी 'ग' या साधारण श्रेणी में रखे गए बंदियों के लिए निर्धारित की गई हों।

5. अभिरक्षा तथा प्रक्रिया

(1) निरुद्ध व्यक्तियों को साधारणत: इस राज्य के निम्नलिखित जेलों अर्थात जबलपुर, रायपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल तथा रीवा के केन्द्रीय जेलों में तथा उज्जैन, सागर, जगदलपुर तथा बिलासपुर के प्रथम श्रेणी के जिला जेलों में और अन्य किसी ऐसे जेल या जेलों में रखा जाएगा जो महानिरीक्षक, द्वारा समय-समय पर इन निरुद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए जाएं।

(2) यथासंभव निरुद्ध व्यक्तियों को अन्य बंदियों में अलग सामान्य वार्डों में रखा जाएगा और उन्हें अपने अहाते के भीतर परस्पर मुक्त रूप से बातचीत करने की अनुमति होगी। तथापित: यदि अधीक्षक, स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर या अन्य किसी कारण से वांछनीय समझे, तो वह किसी भी निरुद्ध व्यक्ति को, पृथक रख सकेगा।

6. कार्य

निरुद्ध व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति होगी जो अधीक्षक द्वारा उसे सौंपा जाये और वह ऐसी दरों पर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा जो शासन द्वारा निश्चित किया जावे।

7. ताला लगाना और खोलना

(1) अधीक्षक अपने विवेक से यह निर्देश दे सकेगा कि निरुद्ध व्यक्तियों को रात्रि में सामान्य तालाबंदी के समय से अधिक एक घंटे बाद ताले में बंद किया जाए। कोठरियों (सेलों) या सामान्य वार्डों के ताले खोलने का कार्य, संडासों का उपयोग तथा स्थान, कारागार की नित्यचर्या के अनुसार किया जावेगा।

(2) शासन, महानिरीक्षक को विशिष्ट मामलों में या सामान्य रुप से निरुद्ध व्यक्तियों को ग्रीष्म-ऋतु में अर्थात 15 मार्च से 15 सितम्बर तक, रात्रि में बैरकों में ताले में बंद रखने से छूट देने के संबंध में प्राधिकृत कर सके, परन्तु शर्त यह होगी कि निरोध स्थान सुरक्षित रुप से घिरा हुआ हो तथा अतिरिक्त खर्च के बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो।

8. वस्त्र तथा बिस्तर की व्यवस्था

निरुद्ध व्यक्ति अपने स्वयं के कपड़े पहन सकेगा तथा अपने स्वयं के बिस्तर का उपयोग कर सकेगा और अधीक्षक द्वारा अनुमति दी जाने पर उसके मित्र तथा संबंधित उसके लिए अतिरिक्त कपड़े तथा बिस्तर भेज सकेंगे। यदि निरुद्ध व्यक्ति किसी कारण से अपने लिए पर्याप्त कपड़ों तथा बिस्तर की व्यवस्था नहीं कर सकता हो, तो अधीक्षक इस आधार पर कि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का बंदी है, उसके लिए श्रेणी 'ख' या 'ग' में रखे गए बंदियों को दिए जाने वाले कपड़ों तथा बिस्तर की व्यवस्था करेगा।

9. भोजन के बर्तन

(1) निरुद्ध, व्यक्तियों को अपने भोजन के लिए स्वयं के बर्तन लाने की अनुमति दी जाएगी किन्तु यदि किसी कारण से वे ऐसा नहीं कर सकते हों, तो अधीक्षक ऐसे बर्तन देगा, जो वह सुविधापूर्वक दे सकता हो।

(2) निरुद्ध व्यक्ति अपने कपड़ों, बिस्तर तथा अन्य वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

10. आहार

(1) (क) यदि निरुद्ध व्यक्ति चाहे, तो अधीक्षक उसे स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था करने की अनुमति दे सकेगा। जब ऐसा भोजन दिया जाए तब उसकी जांच ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो अधीक्षक द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए।

(ख) शीघ्र खराब न होने वाली खाद्य सामग्री एक समय में सात से तीस दिन के लिए देने की अनुमति दी जा सकेगी। शीघ्र खराब होने वाली खाद्य सामग्री के लिए दिन में एक बार तैयार भोजन के लिए, दिन में दो बार अनुमति दी जाएगी। ऐसे तैयार भोजन या खाद्य वस्तुओं का प्रकार उनकी किस्म तथा मात्रा एवं जेल में उसे लेने का समय अधीक्षक के विवेकानुसार निश्चित किया जाएगा।

(2) प्रथम श्रेणी का निरुद्ध व्यक्ति उत्तम प्रकार के या श्रेणी 'ख' बंदी के भोजन का हकदार होगा और द्वितीय श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति को तत्समय प्रवृत्त जेल मैन्युअल में निर्धारित किए अनुसार साधारण श्रेणी या श्रेणी 'ग' के बंदियों के लिए निर्धारित मान के अनुसार भोजन मिलेगा।

(3) द्वितीय श्रेणी निरुद्ध व्यक्ति को नीचे दिए गए मान के अनुसार सुबह एक कप चाय दी जाएगी

चाय- 4 ग्राम, दूध- 60 मिलीलीटर, शक्कर - 8 ग्राम।

11. निधियां

(1) निरुद्ध व्यक्ति शासन के किन्हीं भी प्रतिकूल आदेशों के अधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट संबंधी या मित्र से कम से कम एक माह की अंतरावधियों से प्रथम श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, अधिक से अधिक 30 रूपये प्रतिमाह और द्वितीय श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति की दशा में 15 रुपए प्रतिमाह प्राप्त कर सकेगा, जिससे कि वह जेल में जीवनोपयोगी सुख-सुविधाओं की पूर्ति कर सके।

(2) इस प्रकार प्राप्त सभी निधियां अधीक्षक द्वारा रखी जाएगी और उसके द्वारा निम्नलिखित किन्हीं भी प्रयोजन के लिए निरुद्ध व्यक्ति की ओर से खर्च की जा सकेगी, अर्थात

(क) अधीक्षक तथा जेल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित खाद्य वस्तुओं की खरीद :

(ख) कपड़ों, बिस्तर, टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, ऐना, सिर में लगाने का तेल, साबुन, अनुमोदित समाचार पत्र तथा पुस्तकें और ऐसी ही अन्य वस्तुओं की खरीद :

परन्तु यदि किसी स्थान के एक ही श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति मिलकर यह इच्छा प्रकट करें कि उप पैरा (1) के अधीन उन्हें जो रकमें प्राप्त हों, सबके सामान्य लाभ के लिए इकट्ठा रखा जाए तो अधीक्षक, जेल के चिकित्सा अधिकारी की सहमति के अधीन, रकमों को उक्त निरुद्ध व्यक्तियों के भोजन में सुधार हेतु खर्च कर सकेगा।

(3) अधीक्षक, किसी निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी कोई भी वस्तु खरीदने या देने से इंकार कर सकेगा, जिसे वह अनावश्यक या अनुपयुक्त समझे।

(4) उप पैरा (1) में निर्धारित रकम से अधिक रकम, निरुद्ध व्यक्ति की ओर से अधीक्षक द्वारा प्राप्त की जा सकेगी, किन्तु वे किसी भी माह में इस पैरा में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च नहीं की जाएगी।

12. समक्ष भेंट

(1) अधीक्षक किसी भी कार्य दिवस को निरुद्ध व्यक्तियों की समक्ष भेंट की अनुमति दे सकेगा।

(2) किसी भी निरुद्ध व्यक्ति को (पुलिस अधिकारी को छोड़कर) शासन के या इस संबंध में, शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति के समक्ष भेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) पुलिस अधिकारियों को छोड़ अन्य व्यक्तियों के समक्ष भेंट संबंधी आवेदन निम्नलिखित प्रारूप में दिए जाएंगे और यदि अनुमति दी गई तो उसकी सूचना आवेदक तथा अधीक्षक दोनों ही को दी जावेगी।

1. उस निरुद्ध व्यक्ति का नाम, जिसके समक्ष भेंट की जानी हो .....
2. आवेदक का नाम .....
3. आवेदक का निरुद्ध व्यक्ति से संबंध .....
4. आवेदक का पूरा पता .....
5. समक्ष भेंट का प्रयोजन .....

दिनांक ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर भी, अधीक्षक विशेष कारणों से किसी विशेष दिन या ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे समक्ष-भेंट करने को मनाही कर सकेगा। इस प्रकार की मनाही की सूचना, यथास्थिति शासन को या अनुमति देने वाले अधिकारियों को दी जावेगी।

(5) समक्ष - भेंट अधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्ति अधिकारी की उपस्थिति में और इतने फासले पर की जाएगी जहाँ से कि उसे सुनाई दे सके और यदि ऐसे अधिकारी की राय में बातचीत लोकहित या सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक हो, तो वह उसे किसी भी समय समाप्त कर सकेगा।

(6) निरुद्ध व्यक्ति से समक्ष-भेंट के लिए अनुमति प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति की ओर स्वयं निरुद्ध व्यक्ति की समक्ष-भेंट के पहले और बाद में तलाशी ली जाएगी।

(7) निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में समक्ष भेंट की संख्या साधारणत: पखवाड़े में एक से अधिक नहीं होगी और एक समक्ष भेंट में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर एक साथ मिलने वालों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी।

(8) अधीक्षक प्रत्येक समक्ष भेंट का समय, स्थान और अवधि नियत करेगा, साधारणत: संबंधी से एक घंटे से अधिक तथा अन्य से आधे घंटे से अधिक समय तक मिलने की अनुमति नहीं देगा।

(9) समक्ष भेंट समाप्त होने पर समक्ष-भेंट के समय उपस्थित जेल अधिकारी निरुद्ध व्यक्ति और भेंट करने वाले व्यक्ति दोनों को ही यह चेतावनी देगा कि यदि भेंट करने वाला

व्यक्ति निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई प्रचार करेगा तो वह भविष्य में समक्ष-भेंट करने से रोक दिए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(10) अधीक्षक, विशेष कारणों से, प्राधिकृत व्यक्तियों से अतिरिक्त समक्ष भेंट की अनुमति दे सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि परिस्थितिवश ऐसा करना आवश्यक हो गया है। ऐसे प्रत्येक मामले की सूचना महानिरीक्षक को दी जावेगी।

(11) इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंध के अधीन अनुज्ञेय समक्ष भेंटों के अतिरिक्त निरुद्ध व्यक्ति उस प्राधिकारी की अनुमति से जिसके कि आदेश से वह निरुद्ध किया गया हो, न्यायालय में विचाराधीन या अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में, जिनका कि वह पक्ष हो या होने वाला हो, अपने कानूनी सलाहकार से समक्ष भेंट कर सकेगा। न्यायालय में अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में उसके संस्थित किए जाने के पहले साधाारणत: एक से अधिक ऐसी समक्ष भेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी सभी समक्ष -भेंट उस स्थान में होगी, जहाँ निरुद्ध व्यक्ति रखा गया हो और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन होगी, जिन्हें अधीक्षक सुरक्षा की दृष्टि से और ऐसी अप्राधिकृत सूचनाओं को रोकने की दृष्टि से आवश्यक समझे जो उस मामले से असंबद्ध हो जिसके समक्ष भेंट की मंजूरी की गई हो।

(12) (क) इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन के अनुज्ञेय समक्ष भेंटों के अतिरिक्त, निरुद्ध व्यक्ति को उस प्राधिकारी की अनुमति से, जिसके कि आदेश से उसे निरुद्ध किया गया हो, उसके कारोबार या व्यावसायिक कार्यों के निपटारे के लिए अधिक से अधिक दो बार विशेष भेंट की अनुमति दी जा सकेगी, ऐसी समक्ष भेंट संबंधित निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख के बाद साधारणत: अधिक से अधिक दो माह के भीतर होगी और वह जहाँ तक समक्ष भेंट के स्थान, अवधि तथा शर्त का संबंध है, इस पैरा के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ओर उनकी कार्यवाहियां पूर्णत: उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित होगी, जिसके लिए समक्ष भेंट की अनुमति दी गई हो।

(13) शासन के निदेशों के अधीन रहते हुए, पुलिस महानिरीक्षक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को अकेले या किसी अन्य पुलिस अधिकारी के साथ तथा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों सहित या रहित, किसी निरुद्ध व्यक्ति से समक्ष में भेंट के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(14) इस तरह प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, अधीक्षक की अनुमति से निरुद्ध व्यक्तियों से उनकी कोठरियों या वार्डों मे समक्ष-भेंट कर सकेगा।

(15) कोठरियों या वार्डों में जाते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी के साथ उतने पहरेदार रहेंगे जो कि उसकी सुरक्षा के लिए अधीक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाए, पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी निरुद्ध व्यक्ति से उसके द्वारा बात की जाते समय पहरेदार इतने दूर रहेंगे कि उन्हें कुछ सुनाई न दें किन्तु वे उन्हें दिखाई देते रहें।

(16) इस तरह प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, अधीक्षक की अनुमति से जेल अधिकारी के

उपस्थित रहे बिना भी निरुद्ध व्यक्तियों से समक्ष भेंट के सामान्य कक्ष में समक्ष-भेंट कर सकेगा।

(17) पुलिस अधीक्षक या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी, जेल में निरुद्ध व्यक्ति के फोटो, अंगुलियों के निशान और हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना ले सकेगा।

13. तलाशी

प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति और उसकी कोठरी या वार्ड की सप्ताह में कम से कम एक बार और अधीक्षक आवश्यक समझे तो इससे अधिक बार ऐसे जेल अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाएगी जिसे अधीक्षक निर्दिष्ट करें और जिसका पद मुख्य वार्डन से कम न हो। इस बात की विशेष सावधानी बरती जाएगी कि तलाशी पूरी-पूरी ली जाए तथा तलाशी लेने की बात जेलर की रिपोर्ट पुस्तक में लिखी जाऐगी। निरुद्ध व्यक्ति के समक्ष-भेंट के पहले और बाद में और यदि अधीक्षक आवश्यक समझे तो किसी भी समय तलाशी ली जाएगी। निरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी लेते समय एकांतता का ख्याल रखा जाएगा और इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि उनका तिरस्कार न हो।

14. पत्र व्यवहार और सेन्सर-व्यवस्था

(1) शासन द्वारा अन्यथा निर्देश दिए जाने की स्थिति को छोड़कर प्रथम श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति साधारणतया प्रति सप्ताह में चार पत्र लिख सकेंगे और आठ पत्र प्राप्त कर सकेंगे तथा इस प्रयोजन के लिए उन्हें नितान्त आवश्यक सामग्री शासन के व्यय पर दी जाएगी। निरुद्ध व्यक्ति द्वारा लिखा जाने वाला प्रत्येक पत्र अधीक्षक द्वारा दिए गए पोस्ट कार्ड पर या फुलस्केप आकार के रेखित प्रारूप (इसके संलग्न) अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। एक चौथाई भाग पर रेखाओं पर एक ओर लिखा जाएगा और वह ऐसे तीन पृष्ठों से अधिक नहीं होगा। अधीक्षक की विशेष अनुमति के बिना लिफाफे में एक से अधिक पत्र नहीं रखे जाएंगे। सभी पत्र व्यवहार का डाक व्यय निरुद्ध व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) एक जेल में निरुद्ध व्यक्ति, अन्य जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को पत्र लिख सकेगा परंतु ऐसा पत्र व्यवहार पूर्णत: व्यक्तिगत और निजी मामलों तक ही सीमित होगा।

(3) जेलों में निरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त और उनके द्वारा भेजे जाने वाले सभी पत्र अधीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में उसे सहायता देने या उसकी अनुपस्थितियों में उसके कर्त्तव्य करने के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा सेंसर किए जाएँगे और यदि किसी पत्र के संबंध में अधीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी की वह राय हो कि वह लोकहित या सुरक्षा की दृष्टि से अहितकर हो सकता है, तो ऐसा पत्र रोक लिया जाएगा। संदेह के मामले, मामला आदेशार्थ महानिरीक्षक के जरिए शासन को भेजा जाएगा :

परन्तु ऐसे निरुद्ध व्यक्ति के, जो विधान मंडल का या संसद का सदस्य हो; सदन के

अध्यक्ष, या उस सदन के जिसका कि वह सदस्य हो, सभापति या लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के सचिव द्वारा, भेजे गए सभी पत्र बिना खोले हुए दिए जा सकेंगे।

(4) निरुद्ध व्यक्ति को और उसके द्वारा भेजे गए प्रत्येक पत्र पर उप पैरा (3) के अधीन पत्र को सेंसर करने वाले अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर होंगे तथा उस पर तारीख डाली जाएगी।

(5) ऐसे सभी पत्र, जिनका कि भेजा जाना या सौंपा जाना उप पैरा (3) के अधीन रोका गया हो, शासन को सौंप दिए जाएँगे और उन्हें रोकने संबंधी सूचना संबंधित निरुद्ध व्यक्तियों को दे दी जाएगी।

(6) इसमें इसके पहले दी गई किसी बात के होते हुए भी, अधीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी पत्र को न सौंपने या न भेजने के बजाए उसका ऐसा भाग काटकर, जो उसकी राय में लोकहित या सुरक्षा या जेल के अनुशासन की दृष्टि से आपत्तिजनक हो, उसे भेज या सौंप सकेगा।

(7) निरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले या उनके द्वारा भेजे जाने वाले तारों के संबंध में वही नियंत्रण रखा जाएगा जिसका इसके पहले पत्रों के संबंध में उपबंध किया गया है। सिवाय इसके कि निरुद्ध व्यक्ति द्वारा भेजे जाने वाले तारों की संख्या अधीक्षक के विवेक पर निर्भर होगी। यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य होगा कि इस पर उप पैरा के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों द्वारा वे ही तार भेजें और प्राप्त किए जाएँगे, जिनकी अंतर्वस्तु इतनी अत्यावश्यक हो कि उन्हें तार द्वारा भेजने का औचित्य सिद्ध होता हो। किसी निरुद्ध व्यक्ति द्वारा भेजा गया या प्राप्त ऐसा कोई भी तार, जो कि अधीक्षक की राय में ऐसी आवश्यकता के अनुरूप न हो, पत्र समझा जाएगा और उसे उप पैरा (1) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति द्वारा लिखे जाने और प्राप्त किए जाने के लिए अनुमत पत्रों की कुल संख्या में गिना जाएगा तथा प्रत्येक मामले में निरुद्ध, व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

(8) जब कोई पत्र, तार या याचिका केन्द्रीय या राज्य शासन को भेजी जानी हो या उससे प्राप्त हो, तो उसे शासन के जरिये अग्रेषित किया जाएगा।

(9) अधीक्षक, किसी निरुद्ध व्यक्ति के तार को, जिसमें तार के रुप में भेजी गई याचिका भी शामिल है, तार के स्थान पर डाक से भेज सकेगा, यदि उसकी राय में उसकी अंतर्वस्तु अत्यावश्यक स्वरूप की हो कि उसे तार से भेजने का औचित्य सिद्ध होता है।

(10) निरुद्ध व्यक्ति अपने सभी पत्रों और तारों पर एक परची लगाएंगे जिसमें पत्र और तार पाने वाले व्यक्ति और पत्र या तार में उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, पता और रिश्ता लिखा होगा। ये पर्चियां पुलिस महानिरीक्षक या इस संबंध में शासन द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी और यदि उसका मत हो कि पत्र लेखक को पत्र व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो वह भावी मार्गदर्शन के लिए उसकी सूचना अधीक्षक को देगा।

(11) उप पैरा (1) के अधीन दिए गए प्ररूपों के अतिरिक्त ऐसा निरुद्ध व्यक्ति, जिसे बाहर से रकम प्राप्त होती हो, अन्य लेखन संबंधी प्रयोजनों के लिए साधारण शालोपयोगी कापियां खरीद सकेगा, किन्तु ऐसी कापियों के पृष्ठ क्रमांक डाले जाएंगे और निरुद्ध व्यक्ति ऐसी कोई कापी नष्ट नहीं करेगा और न उसके पृष्ठ निकालेगा।

(12) उप पैरा (1) के अधीन अनुमत संख्या से अधिक पत्र अधीक्षक द्वारा रोक लिए जायेंगे और अगले महीनों में निर्धारित कोटे के हिसाब से सौंप दिए जाएँगे।

(13) ऐसे किसी निरुद्ध व्यक्ति द्वारा, जो कि राज्य की विधान मंडल का या संसद का सदस्य हो, यथास्थिति उस सदन के, जिसका कि वह सदस्य हो, अध्यक्ष या सभापति या सचिव को या ऐसे सदन को किसी समिति के (विशेषाधिकार समिति को सम्मिलित करते हुए) या राज्य विधान मंडल के या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के सभापति को संबंधित समस्त पत्र व्यवहार अधीक्षक द्वारा संबंधित प्रेषिती को उसी दिन या उसके प्राप्त होने के दूसरे दिन निश्चित रूप से अग्रेषित कर दिए जाएँगे।

15. पुस्तकें और समाचार-पत्र

(1) निरुद्ध व्यक्ति को निरोध स्थान से संबंद्ध पुस्तकालय, यदि कोई हो, में उपलब्धता या उसके खुद के या उसके संबंधियों या मित्रों के व्यय पर प्राप्त पुस्तकें समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाएँ पढ़ने की अनुमति होगी :

परंतु निरुद्ध व्यक्ति को, ऐसी कोई भी पुस्तकें या नियतकालिक पत्रिकाएँ, जिन्हें अधीक्षक, अनुपयुक्त समझे, उपलब्ध नहीं करायी जायेगी संदेह की स्थिति से, अधीक्षक किसी पुस्तक या नियतकालिक पत्रिका के औचित्य के संबंध में शासन को निर्देश करेगा।

(2) निरुद्ध व्यक्ति के शिक्षित होने की स्थिति में, यदि निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेजी समझता हो, तो एक अंग्रेजी समाचार पत्र, एक भारतीय भाषा का समाचार पत्र और एक नियतकालिक पत्रिका जेल पुस्तकालय में उपलब्ध न होने पर शासन के व्यय पर प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को दी जाएगी, परंतु जहाँ अनेक व्यक्ति एक ही वार्ड में निरुद्ध कर रखे गए हों वहाँ उपयुक्त समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाएँ प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को न दी जाकर ऐसे आठ निरुद्ध व्यक्तियों पर एक के हिसाब से दी जाएगी।

(3) शासन द्वारा अन्यथा निर्देश दिए जाने की स्थिति को छोड़कर निरुद्ध व्यक्ति मान्यता प्राप्त पुस्तक विक्रेताओं या समाचार पत्र विक्रेताओं से न कि अन्य निजी साधनों से, शासन द्वारा अनुमोदित सूची में दिए गए कोई भी समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकायें, डाक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्राप्त कर सकेगा, अर्थात

(क) डाक से प्राप्त कोई भी वस्तु जिसमें समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिकायें हों, पहले अधीक्षक या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा खोली जाएगी।

(ख) जहाँ ऐसी किसी समाचार या नियतकालिक पत्रिका के बाहरी पृष्ठ के पूरे या कुछ भाग में विज्ञापन दिए गए हों, वहाँ समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका निरुद्ध व्यक्ति को दी जाने के पहले ऐसे विज्ञापन निकाल दिए या लुप्त कर दिए जाएँ।

(ग) जहां अधीक्षक की राय में ऐसे समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका में कोई अन्य सामग्री लोकहित या सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त हों, वहाँ समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका निरुद्ध व्यक्ति को दी जाने के पूर्व ऐसी सामग्री उसमें से लुप्त कर दी जाएगी।

(4) शासन द्वारा अन्यथा निर्देश दिए जाने की स्थिति को छोड़कर निरुद्ध व्यक्ति डाक से प्राप्त पुस्तकें इस शर्त के अधीन प्राप्त कर सकेगा कि डाक से कुछ प्राप्त ऐसी वस्तु जिसमें पुस्तकें हों, पहले अधीक्षक या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा खोली जाएगी और ऐसी पुस्तकें अधीक्षक द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को दिए जाने से इंकार किया जा सकेगा यदि उसकी राय में वे उपयुक्त न हों। कोई साम्यवादी पुस्तकें, समाचार पत्र या साम्यवाद से संबंधित किसी प्रकार का साहित्य निरुद्ध व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

(5) डाक से प्राप्त समाचार पत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं और पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसे निरुद्ध व्यक्ति को, जिसे बाहर से रकम मिलती हों, ऐसी रकम से समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिकाएँ और पुस्तकें उप पैरा (3) या (4) में निर्धारित शर्तों के अधीन खरीदने की अनुमति दी जा सकेगी।

16. निरुद्ध व्यक्ति का अभ्यावेदन अधीक्षक द्वारा अग्रेषित किया जाएगा

(1) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना अध्यादेश, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 8 के अधीन किसी निरुद्ध व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अभ्यावेदन दो प्रतियों में होगा। अधीक्षक ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी कि वह उचित समझे, ऐसे अभ्यावेदन की एक प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को तथा दूसरी प्रति सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग, भोपाल को अग्रेषित करेगा।

(2) अधीक्षक, निरुद्ध व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित समस्त पत्र तुरंत, अधिमान्यत: उसी दिन जिस दिन पत्र प्राप्त हुआ हो तथा किसी भी दशा में निश्चयात्मक रूप से आगामी दिन संबंधित प्रेषिती को भेजेगा।

(3) अधीक्षक, किसी निरुद्ध व्यक्ति द्वारा शासन को प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी कोई भी याचिका जो कि निरोध आदेश से संबंधित न हो, महानिरीक्षक के मार्फत सचिव मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग को ऐसी टिप्पणियों के साथ, जैसी कि वह उचित समझे, अग्रेषित करेगा।

17. चिकित्सोपचार

(1) निरुद्ध व्यक्तियों का उपचार साधारणतया निरोध के स्थान से संबंद्ध चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा या यदि निरोध स्थान से संबंद्ध कोई ऐसा चिकित्सा अधिकारी न हो, तो उसका उपचार यथास्थिति, स्थानीय सिविल चिकित्सालय या सिविल औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि ऐसा चिकित्सा अधिकारी किसी मामले में किसी विशेष या किसी स्थानीय चिकित्सा से किसी राज्य चिकित्सक या राज्य शल्य चिकित्सक से सलाह लेना या उसकी सेवाओं का उपयोग करना आवश्यक समझे, तो वह स्वयं ही ऐसा कर सकेगा किंतु आपत्तिक स्थिति को छोड़कर बाहर के किसी चिकित्सक से सलाह नहीं ली जाएगी अन्यथा यह विषय शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यदि कोई निरुद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो तो, अधीक्षक इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा तथा उसकी एक प्रति महानिरीक्षक और शासन को उनकी जानकारी के लिए भेजेगा और साथ ही यदि निरुद्ध व्यक्ति चाहे तो इसकी सूचना उसके किसी मित्र या संबंधी को देगा।

(3) यदि कोई निरुद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो और यदि इस पैरा में उल्लिखित चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे चिकित्सालय में स्थानांतरित करना आवश्यक हो, तो उसे ऐसे स्थानांतरण को शासित करने वाले उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थानांतरित किया जा सकेगा। अधीक्षक ऐसे प्रत्येक स्थानांतरण की सूचना महानिरीक्षक के जरिए शासन को देगा।

18. पढ़ने के लिए प्रकाश

निरुद्ध व्यक्ति को पढ़ने के लिए रात के 10 बजे तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, किंतु प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति के लिए पृथक प्रकाश की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है।

19. फर्नीचर

जहाँ पर्याप्त स्थान हो वहाँ प्रथम श्रेणी का निरुद्ध व्यक्ति अपने खर्च पर ऐसा फर्नीचर रख सकेगा जो कि अधीक्षक द्वारा समुचित और अपत्तिजनक न समझा जाए।

20. प्रसाधन

(1) प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को शासन के व्यय पर साबुन की दो बट्टियाँ और द्वितीय श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति को एक बट्टी दी जाएगी।

(2) निरुद्ध व्यक्ति के मित्र और संबंधी उसके उपयोग के लिए निषिद्ध सामग्री को छोड़कर अन्य प्रसाधन सामग्री और धूम्रपान सामग्री, जमा कर सकेंगे। अधीक्षक, ऐसी कोई भी वस्तु रोक सकेगा, जिसका कि दिया जाना वह आपत्तिजनक समझे।

21. धूम्रपान और तम्बाकू का सेवन

पान और हुक्के की अनुमति नहीं है किंतु निरुद्ध व्यक्ति की अपने व्यय पर धूम्रपान की अनुमति होगी।

परंतु ऐसा विशेषाधिकार दुरुपयोग किए जाने पर वापस लिया जाएगा।

22. खेलकूद

जहाँ कहीं भी पर्याप्त जगह हो, वहाँ अधीक्षक द्वारा शासन के व्यय पर कम खर्चीले खेल, जैसे रिंग, टेनिस खेलने के लिए और निरुद्ध व्यक्ति के खर्चे पर ऐसे खेल खेलने के लिए जिनके लिए अधीक्षक अनुमति दे, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

23. धुलाई व्यवस्था

प्रथम श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति को शासकीय खर्च पर प्रति सप्ताह दस कपड़े धुलाई की अनुमति दी जा सकेगी और इस संख्या से अधिक कपड़ों की धुलाई स्वयं के व्यय पर की जाएगी। किसी भी ऐसे निरुद्ध व्यक्ति को, अपने कपड़े स्वयं धोना चाहे, इस प्रयोजन के लिए सप्ताह में एक बार 150 ग्राम कपड़े धोने का साबुन दिया जा सकेगा।

24. वाहन सुविधाएं

(1) जब कभी निरुद्ध व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जाय, तब शासन या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, सामान्य यथा विशेष आदेश द्वारा, यात्रा के लिए ऐसा साधन प्राधिकृत कर सकेगा जिसे शासन या वह अधिकारी आवश्यक समझे।

(2) रिहा कर दिए जाने पर निरुद्ध व्यक्तियों को नीचे निर्धारित मान के अनुसार यात्रा खर्च दिया जाएगा

(एक) प्रथम श्रेणी का प्रत्येक व्यक्ति निरुद्ध व्यक्ति रिहा होने के स्थान से उसके घर तक रेल तथा/ या बस द्वारा जुड़े मार्ग के भागों के लिए द्वितीय श्रेणी का एक आदमी का रेल किराया / या प्रथम श्रेणी या उच्च श्रेणी का बस किराया और ऐसी यात्रा के लिए सामान्यत: लगने वाले दिनों के लिए, जिनमें रिहाई का दिन भी शामिल है, 5.00 रुपये प्रतिदिन।

(दो) द्वितीय श्रेणी का प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति रिहा होने के स्थान से उसके घर तक रेल तथा / या बस द्वारा जुड़े मार्ग के भागों के लिए तृतीय श्रेणी का एक आदमी का रेल किराया तथा / या निम्न श्रेणी का बस किराया और ऐसी यात्रा के लिए सामान्यत: लगने वाले दिनों के लिए, जिनमें उसकी रिहाई का दिन भी शामिल है, 3.00 रूपये प्रतिदिन।

25. सुविधाओं का प्रत्याहरण

अधीक्षक इस आदेश में उल्लिखित किसी भी विशेष सुविधा या समस्त विशेष सुविधाओं को, कोई दुर्व्यवहार या कोई बड़ा जेल अपराध करने पर दंड के रूप में प्रत्याहरित कर सकेगा।

परंतु किसी प्रथम श्रेणी के निरुद्ध व्यक्ति को द्वितीय श्रेणी में रखने के लिए निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

26. अनुशासन तथा दंड

(1) निरुद्ध व्यक्ति, अनुशासन के प्रयोजन के लिए तथा अनुशासन भंग करने पर दंड दिए जाने के संबंध में सिद्धदोष अपराधी बंदियों पर लागू होने वाली विधि तथा नियमों के अधीन उस सीमा तक रहेंगे, जहाँ तक कि ऐसी विधि या नियम इस आदेश के अधीन निर्धारित शर्तों के तथा निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में सामान्यतः अथवा किसी विशिष्ट निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए विशेष आदेशों से असंगत न हो।

(2) अधीक्षक अपने द्वारा दिए गए किसी भी संगत आदेश का किसी निरुद्ध द्वारा पालन कराए जाने के संबंध में ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो कि उसकी राय में आवश्यक हो।

27. विशेष आदेश

शासन इसके पूर्व उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त को शिथिल कर सकेगा अथवा किसी विशिष्ट निरुद्ध व्यक्ति का निरोध स्थान के संबंध में विशेष आदेश दे सकेगा।

28. अनुदेश जारी करने के संबंध में जेल महानिरीक्षक की शक्ति

जेल महानिरीक्षक शासन के अनुमोदन से ऐसे अन्य सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकेगा जो कि जेल अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हो।

टिप्पणी : कंडिका 14 (1) में निरुद्ध व्यक्ति के पत्र के तारतम्य में एक प्ररूप का उल्लेख किया गया है जिसमें निरुद्ध व्यक्ति द्वारा लिखे जाने वाले पत्र, उसे सेंसर किए जाने तथा मुद्रांकित किए जाने का विवरण वर्णित है। स्थानाभाव के कारण उक्त प्ररूप यहाँ प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। - सम्पादक

●●●